

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/

आहरण-वितरण अधिकारी, उ०प्र०।

महाराजगंज, मऊ, कानपुर देहात, इलाहाबाद, सहारनपुर, बलिया, अमरोहा तथा झाँसी।

आवंटन,

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001011401

संख्या- 1/ 276 /2018-1/11/2018 : लखनऊ: दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सफाई कर्मचारियों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-14-पंचायती राज संस्थाएँ-1401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-28/2018/970/33-3-2018-100(3)/2017 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रू० 94,20,78,688/- (रू० चौरान्बे करोड़ बीस लाख अठहत्तर हजार छः सौ अठ्ठासी मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
3. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. निदेशक, पंचायती राज द्वारा अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-14-पंचायती राज संस्थाएँ-1401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

11. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
12. कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
13. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
14. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
15. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
16. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
17. आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।
18. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
19. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
20. प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10-02-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
21. व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15-02-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
22. वर्ष 2018-19 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20-02-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-119 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम खली सरवर)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/ 216 /1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, महाराजगंज, मऊ, कानपुर देहात, इलाहाबाद, सहारनपुर, बलिया, अमरोहा तथा झाँसी।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(मोनिष अमी सिद्धीकी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-28/09/2018

प्रेषण संख्या:- 1-276-2018-1-11-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 006-1-11-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
14 - पंचायती राज संस्थायें
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	213626736 347207838	18982133 27428932	5070372 8710637	0 10754775	237679241 394102182
2	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	277336625 539793517	19637462 38009444	6558710 18369270	0 22146062	303532797 618318293
3	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	68324863 170081231	4986184 12109130	24062 4603099	0 12642764	73335109 199436224
4	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 212270633	0 14858944	0 9552178	24479244 24479244	24479244 261160999
5	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	22058005 60640246	2769580 5470337	627105 2363306	0 4720914	25454690 73194803
6	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	107260485 225690258	10011147 18301231	0 5329340	0 16419931	117271632 265740760
7	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	90332138 200910045	6090123 13830576	226863 5202869	0 13895158	96649124 233838648
8	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	59730250 145780017	3946601 9970085	0 3872240	0 10226269	63676851 169848611
	योग	वर्तमान प्रगामी	838669102 1902373785	66423230 139978679	12507112 58002939	24479244 115285117	942078688 2215640520

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौरानवे करोड़ बीस लाख अठहत्तर हजार छः सौ अठासी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो अरब इक्कीस करोड़ छप्पन लाख चालीस हजार पाँच सौ बीस

(मोनिष अली सिद्दीकी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी